कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

मो0 इम्तियाज,
पिता इब्राहिम मियां
ग्राम बहेरवाटांड, थाना कोडरमा,
जिला–कोडरमा।

विविध वाद सं0 38 / 2017–18

12/11/17

आवेदक मो0 इम्तियाज, पिता इब्राहिम मियां, ग्राम– बहेरवाटांड, पो0 व थाना व जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 330, खाता नं0 37, प्लॉट नं0 सर्वे खातियान रकबा 29 ए0 भूमि दर्ज है। जिसमें खातियानी रैयत के वारिशान सोबराती मियां बीती मियां के द्वारा खाता नं0 37, प्लॉट नं0 362 में मो0 बोध मियां पिता रजू मियां को विक्रय सं0 8730 / 24.12.1979 से 0.08 ए0, बीबी आमना खातुन पति इब्राहिम मियां को विक्रय पत्र सं0 665 / 20.01.1983 से 0.09 ए0 एवं विक्रय पत्र सं0 9592 / 29.11.1984 से 0.06 ए0 तथा बीबी मेहरूनीशा पति अल्लाउद्दीन अंसारी को विक्रय पत्र सं0 9607 / 29.11.1984 से 0.30 ए0 विक्रय किया गया है। सोबराती मियां द्वारा सर्वे खातियानी रकबा 0.29 ए0 के जगह 0.53 ए0 भूमि का बिक्री किया गया है। इस तरह पृ0 सं0 126 / 2 प्लॉट सं0 362 का अवशेष रकबा 0.06 ए0 के स्थान पर 0.30 ए0 का जमाबन्दी कायम कर दिया गया है।

मो0 इम्तियाज, पिता इब्राहिम मियां, ग्राम– बहेरवाटांड के द्वारा उक्त प्लॉट में खातियानी ... अनुसार 0.30 ए0 के स्थान पर 0.06 ए0 कर सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 8/12/17 को उपस्थापित करें।

12/11/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

8/12/17

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच कर जाच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 330, खाता नं0 37, प्लॉट नं0 362, रकबा 0.30 ए0 जिसका जमाबन्दी पंजी ... के पृ0 सं0 128 / 2 पर बीबी मेहरून निशा पति अलाउद्दीन असारी, ग्राम बहेरवाटाड के नाम से कायम है, का रकबा 0.06 ए0 सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक का कथन है कि खाता नं0 37, प्लॉट सं0 362 का सर्वे रकबा 0.29 ए0 मात्र है, जिसमें सर्वे रकबा का उत्तराधिकारी सोबराती मियां के द्वारा पूर्व में ही 0.23 ए0 बिक्री की गई है। पुनः उसी प्लॉट में 52 डी0 का बतलाकर 30 डी0 दान पत्र में दिया गया है। जिसकी जमाबन्दी पृ0 सं0 ...23 / 2 पर दाखिल खारिज कर कायम कर दिया गया है। आवेदक द्वारा इस संबंध में सोबराती मियां द्वारा पूर्व बिक्री की गई भूमि का विक्रय पत्र भी संलग्न की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

Scanned with CamScanner

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	प्लॉट [illegible]	रकवा	विक्रय पत्र स0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	362	0.08 ए0	8730 / 24.12.1979
[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	362	0.09 ए0	605 / 20.01 1983
[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	262	0.06 ए0	9592 / 29.11.1984
[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	362	0.30 ए0	9607 / 29.11.1984

[illegible] प्लॉट की चौहदी दर्ज कर [illegible] पर 30 डी0 बिक्री हुई [illegible] पति अल्लाउद्धीन अंसारी के [illegible] स्थापित नियम– पूर्ववर्ति विक्रय पत्र [illegible] पक्ष को नोटिश निर्गत कर रकवा में [illegible] पक्ष को नोटिश निर्गत करें।

[illegible] को उपस्थापित करें।

[illegible]

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

अभिलेख उपस्थापित।

12/2018
06/03/2018 उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना अपना जवाब दाखिल किये हैं। प्रथम पक्ष का कहना है कि खाता नं0 37, प्लॉट सं0 362 का सर्वे रकवा 0.29 ए0 मात्र है, जिसमें सर्वे रकवा का उत्तराधिकारी सोबराती मियां के द्वारा पूर्व में ही 0.23 ए0 बिक्री की गई है। पुन: उसी प्लॉट में 52 डी0 का बतलाकर 30 डी0 दान पत्र में दिया गया है। जिसकी जमाबन्दी पृ0 सं0 128/2 पर दाखिल खारिज कर कायम कर दिया गया है। सर्वे रकवा 0.29 ए0 के स्थान पर सोबराती मियां द्वारा 0.53 ए0 भूमि बिक्री किया गया है। जिसकी जमाबन्दी पंजी ।। के अलग अलग पृ0 सं0 पर कायम है। विक्रेता द्वारा पृ0 सं0 128/2 पर रकवा 06 डी0 दर्ज कर शेष रकवा 0.23 ए0 की जमाबन्दी मूल रैयत के नाम से दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के बीबी मेहरून निशा का कहना है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 330, खाता नं0 37, प्लॉट न0 362, रकवा 30 डी0 भूमि वजरिये दान पत्र के द्वारा अपने पिता सोबराती मियां से दान पत्र सं0 9607 दिनांक 29.11.1984 से हासिल है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा एक ही प्लॉट की चौहदी दर्ज कर पूर्व में मौजा कोडरमा, थाना नं0 330, खाता नं0 37, प्लॉट नं0 362, सर्वे रकवा 29 डी0 के मध्ये रकवा 23 डी0 भूमि बिक्री की गई है। पुनः अवशेष रकवा 06 डी0 के जगह पर 30 डी0 जमीन बीबी मेहरूनिशा को बिक्री हुई है। जिसकी जमाबन्दी पंजी ।। के पृ0 सं0 128/2 पर बीबी मेहरूनीशा पति अल्लाउद्दीन अंसारी के नाम से कायम की गई है। जो नियमानुसार नहीं है। विधि द्वारा स्थापित नियम– **पूर्ववर्ति विक्रय पत्र ही मान्य होगा।** राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा पंजी ।। के पृ0 सं0 128/2 पर बीबी मेहरून निशा पति अलाउद्धीन अंसारी के नाम से कायम रकवा 0.30 ए0 के स्थान पर 0.06 ए0 सुधार करते हुए मूल जमाबन्दी रैयत में रकवा 0.23 ए0 यथावत रखते हुये संशोधन करने हेतु अनुसंशा किया गया है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा बहेरवाटाड, थाना नं0 330, खाता न0 37, प्लॉट नं0 362, रकवा 0.30 ए0 भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। के पृ0 सं0 128/2 पर बीबी मेहरून निशा पति अलाउद्धीन अंसारी, ग्राम बहेरवाटांड के नाम से कायम है, का रकवा 0.30 ए0 के स्थान पर 0.06 ए0 सुधार करते हुए मूल जमाबन्दी में रकवा 0.23 ए0 यथावत रखने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

06/03/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।